संख्या-08 /2018/350/38-4-18-18(बजट)/2015

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक-27 फरवरी, 2018**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-13)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1619/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0/2017-18 दिनांक- 26.02.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष सामान्य मद (अनुदान संख्या-13) में भारत सरकार के पत्र संख्या-J-12036/02/2017-RH(A/C)-5-UP दिनांक 23.02.2018 द्वारा निर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किश्त धनराशि रू0 14555.242 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 9703.4947 लाख कुल धनराशि रू0 24258.7367 लाख स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2017-18 के आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि से रू**0 14555.242 लाख (रूपया एक सौ पैतालीस करोड़ पच्चपन लाख चौबीस हजार दो सौ मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा। तथा प्रश्नगत धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21-03-2012 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017 दिनांक 27 दिसम्बर,2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाय, परन्तु धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब कि प्रश्नगत कार्य/मद में पूर्व में निर्गत/व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यो की गुणवत्ता का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वितीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(10) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(11) इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही केन्द्रांश की धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.11.2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या- 08/2018/350(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9-विशेष कार्याधिकारी बजट प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10-गार्डबुक।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in